

18/5/13

वशावली भाग लोक अदालत रु. हनुमान के पेश हुई।

नसूदा (अजमेर)

पक्षकारान उपस्थित । इनके आपसी समझौते से अलग वाद पर
पर कटवारी स्वीकार किया गया । कतः TI अधिनिपत्र
पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है यह अधिनिपत्र कार्रवाई
शेप की पाठिए सिपल फील सुमार होकर नम्बर के
क्रम है।

Signature
उपखण्ड अधिकारी
नसूदा (अजमेर)

लाइ
टीपीएफ

Signature
Signature

प्राधान्य पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व
तकारी अधिनियम, 1955 संपत्ति अधि
नियम 1 व 2 व धारा 151 जास्ता दीवा

